

न्यायालय –सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला–बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-398 / 2008
 संस्थित दिनांक-31.05.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

शिवपाल पिता विक्रमसिंह गोंड, उम्र-28 वर्ष,
 निवासी-ग्राम केवलारी, थाना बैहर,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-18/06/2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-13.05.2008 को करीब 08:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत, ग्राम केवलारी में लोकमार्ग पर टीपर(ट्रक) क्रमांक-एम.एच.34/ए.-6974 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतिका देवकलीबाई की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है तथा मृतिका को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया और न ही दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को दिया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-13.05.2008 फरियादी सुन्दरसिंह धुर्वे उजियार के घर से कुछ दूरी पर खड़ा था कि करीब 8:00 बजे पलारी बस्ती तरफ से एक टीपर(ट्रक) क्रमांक-एम.एच.34/ए.-6974 का चालक शिवपाल तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए लाया और उजियार सिंह के मकान की दीवाल में ठोस मार दिया। दीवाल के किनारे उजियारसिंह की बहू देवकली पति रामसिंह बैठी थी, जिस पर दीवाल गिरने से उसकी कमर, दाहिने पैर, बाएं हाथ में चोट आई थी। उक्त घटना की सूचना फरियादी सुंदरसिंह धुर्वे द्वारा थाना बैहर में की गई। जिस पर पुलिस थाना बैहर द्वारा आरोपी शिवपाल के विरुद्ध प्रथम सूचना

प्रतिवेदन क्रमांक-50/06, धारा-279, 337 भा.द.वि. के तहत दर्ज की गई। मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन क्रमांक-0/2008, धारा-174 द.प्र.सं के तहत लेख की गई थी, जिसके पश्चात् नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त किया तथा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराया। आरोपी के द्वारा आहत को चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को न दिए जाने से मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 का ईजाफा किया गया तथा पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-13.05.2008 को करीब 08:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत, ग्राम केवलारी में लोकमार्ग पर टीपर(ट्रक) क्रमांक-एम.एच.34/ए.-6974 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृत्तिका देवकलीबाई की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मृत्तिका को चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराया ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5- सुंदरसिंह (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी शिवपाल एवं मृत्तिका देवकलीबाई को पहचानता है। आरोपी शिवपाल उसकी बस्ती का है। घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व दिन के 8:00 बजे की ग्राम केवलारी की है।

गांव के तरफ से एक टीपर (ट्रक) आया जिसे आरोपी शिवपाल चला रहा था। आरोपी टीपर (ट्रक) को बहुत तेज गति में चलाते हुए दीवाल को मार दिया था, जिससे मृत्तिका देवकली के उपर दीवाल गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना आरोपी के द्वारा वाहन को तेज गति से चलाने से हुई थी। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट किया था और पुलिसवाले जांच के लिए आए थे, तब उसने अंगूठा लगाया था। पुलिस ने उसके समक्ष देवकलीबाई का मृत्युपंचनामा बनाया था, जिसमें उसने अंगूठा निशानी दिया था उसके पश्चात् देवकलीबाई का पी.एम. बालाघाट में हुआ था, जिसका शव उन्होंने लाए थे।

6— उक्त साक्षी का आगे यह भी कहना है कि मृत्तिका उसकी बहन है। पुलिस वालों ने नुकसानी पंचनामा भी उसके समक्ष बनाये थे, जिस पर उसने हस्ताक्षर किया था। उक्त दुर्घटना से लगभग 30 हजार रुपये नुकसान हो गया था। उसे टीपर का नंबर मालूम नहीं है। उक्त टीपर पीला कलर का था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब उसे आवाज सुनाई दी तो वह दुर्घटना के बाद दौड़ कर मौके पर पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसके सामने दुर्घटना नहीं हुई बल्कि वह दुर्घटना के पश्चात् आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा था और दुर्घटना के पश्चात् का वृत्तांत देखकर आरोपी के द्वारा वाहन को कथित तेज गति से चलाकर दीवाल को मारना बता रहा है। साक्षी के कथन से दुर्घटना होना तथा दुर्घटना के कारण मृत्तिका देवकलीबाई की मृत्यु कारित होने की पुष्टि होती है। यद्यपि साक्षी के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की गई थी।

7— उजियारसिंह (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग 4 साल पहले की सुबह 8:00 बजे की ग्राम केवलारी की उसके घर की है। वह घटना के समय बैल चराने खेत पर गया था। आरोपी ने पहले झाड़ को टक्कर मारा, फिर बैल बांधने के कोठे को तोड़ा, फिर मिट्टी की दीवाल को ठोस मारा, जिससे वह दीवाल देवकलीबाई के उपर गिर गई। आरोपी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग गया था। उक्त घटना आरोपी की गलती से हुई है। घटना के समय आरोपी गाड़ी कैसे चला रहा था, वह नहीं बता सकता। वह घटना के

तत्काल बाद आ गया था। उसने घटना की रिपोर्ट किया था। बैहर में डॉक्टर नहीं होने से उसे बालाघाट ले गए, जहां पर देवकलीबाई को भर्ती करने पर वह फौत हो गई। पुलिसवालों ने मृत्युजांच पंचायतनामा एवं नक्शा पंचायतनामा बनाए थे, जिस पर उसने अंगूठा निशान दिया था। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय नहीं था और उसने आरोपी को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन नहीं किया है।

8— उर्मिलाबाई (अ.सा.2) एवं सरलाबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानते हैं। उक्त साक्षीगण का कथन है कि घटना के समय आरोपी ट्रक को चलाते हुए दीवाल को मार दिया था तथा दीवाल गिरने से देवकलीबाई फौत हो गई थी। उक्त साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी, इसलिए नहीं बता सकती कि किसकी गलती से घटना हुई। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन नहीं किया है।

9— बुधोबाई (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी शिवपाल एवं मृतिका देवकलीबाई को पहचानती है। घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व की ग्राम केवलारी की सुबह 8:00 बजे की है। खोलवा तरफ से ट्रक आ रहा था और रोड किनारे देवकलीबाई का घर था। उक्त ट्रक को आरोपी शिवपाल चला रहा था, उस समय देवकलीबाई घर के अंदर बच्चा लेकर बैठी थी, उसी समय आरोपी ने ट्रक से दीवाल को मार दिया था, जिससे देवकलीबाई की कमर में मिट्टी की दीवाल गिर गई, जिससे उसकी कमर, हाथ और पैर टूट गया था, फिर देवकलीबाई बेहोश हो गई थी, उसके बच्चे को दूसरे आदमी ने खींच लिया था। देवकलीबाई को बैहर अस्पताल लाए फिर उसे बालाघाट अस्पताल लेकर गए, जहां देवकलीबाई फौत हो गई। उक्त घटना आरोपी की लापरवाही से हुई थी। वह घर पर नहीं थी, इसलिए उसने ट्रक को दीवाल को ठोस मारते हुए नहीं देखा था। जब दीवाल टूट गई थी, तब उसने देखा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसके समक्ष देवकलीबाई की मृत्यु का नक्शा पंचायतनामा बनाए थे, जिस पर उसने अंगूठा निशान लगाया था। उक्त

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने शिवपाल को दीवाल को टक्कर मारते हुए नहीं देखा तथा उसे लोगों ने बताया कि शिवपाल ने अपने ट्रक से दीवाल को टक्कर मारी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी, इसलिए यह नहीं बता सकती कि किसकी लापरवाही से घटना हुई। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन नहीं किया है।

10— भरतलाल (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी एवं मृतिका देवकलीबाई को पहचानता है। घटना वर्ष 2008 की ग्राम केवलारी की सुबह 8:00 बजे की है। ट्रक जो बस्ती के अंदर से आ रहा था, उसे आरोपी शिवपाल चला रहा था। आरोपी ट्रक को लाया और दीवाल से टकरा दिया। दीवाल गिरने से देवकलीबाई की कमर, हाथ-पैर टूट गए थे। फिर उसे थाना लेकर गए थे और फिर बैहर अस्पताल लेकर गए थे, जहां से उसे बालाघाट रेफर कर दिया गया था। बालाघाट में डॉक्टर साहब ने देखा तो वह फौत हो गई थी। वह घटना के समय नहीं था, उसे घरवालों ने बताया था कि उक्त घटना आरोपी शिवपाल की गलती से हुई थी। उसके समक्ष मृत्यु जांच का नक्शा पंचायतनामा बनाया गया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे जांच में उपस्थित होने की सूचना पुलिसवालों ने दिए थे, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। देवकलीबाई के शव को सुपुर्दनामे पर लिया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिसवालों ने घटनास्थल से ट्रक को जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को ट्रक चलाते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी, इसलिए यह नहीं बता सकती कि किसकी लापरवाही से घटना हुई। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में समर्थन नहीं किया है।

11— भागचंद (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसने घटना के समय भीड़ लगी होने पर मौके पर जाकर देखा था, तो एक डंफर दीवाल तोड़कर घर में घुस गया था और दीवाल की मिट्टी देवकलीबाई के उपर गिरी थी। पुलिस ने उसके समक्ष डंफर जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके

हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा केवल वाहन की जप्ती की कार्यवाही का समर्थन किया है।

12— मोहनलाल कारमंगे (अ.सा.12) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-13.05.2008 को पुलिस चौकी अस्पताल बालाघाट में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को जिला अस्पताल बालाघाट में मृतक देवकली की मृत्यु होने के संबंध में अस्पताल तहरीर प्राप्त हुई थी। उक्त अस्पताल तहरीर के आधार पर उसके द्वारा मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-14 लेख की थी, जिसका क्रमांक-0/08, धारा-174 द.प्र.सं. के तहत लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतिका देवकली की मृत्यु बाबत पंचायतनामा प्रदर्श पी-15 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-16 की कार्यवाही पंचो के समक्ष की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मृतिका के शव को परीक्षण हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट भेजा था। साक्षी ने मामलें में मृतिका देवकलीबाई की मृत्यु जांच को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

13— भाउलाल पारधी (अ.सा.10) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-13.05.08 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी सुन्दरसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-50/08, धारा-279, 337 भा.द.वि के तहत आरोपी शिवपाल के विरुद्ध लेख किया था, जो प्रदर्श पी-11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं प्रार्थी सुन्दरसिंह के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामलें में प्राथमिकी दर्ज किये जाने को प्रमाणित किया है।

14— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रमेश इंगले (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-13.05.2008 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सुंदरसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-14.05.2008 को घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-5 साक्षी सुंदरसिंह की निशानदेही पर तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को स्वरूपसिंह, सरलाबाई, भरतलाल, भागचंद एवं दिनांक-17.05.2008 को रंजनाबाई, बोधेबाई, दिनांक-18.05.2008 को विलास गजानंद के कथन उनके बताए अनुसार

लेखबद्ध किया था। दिनांक-14.05.2008 को घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष टिपर क्रमांक-एम.एच. 34/6974 एवं उसके दस्तावेज जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-6 तैयार किया था। उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 तैयार कर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था। आरोपी के घटनास्थल से भाग जाने और आहत का ईलाज नहीं कराने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 का ईजाफा किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

15— डॉ. एन.एस. कुमारे (अ.सा.8) की चिकित्सीय साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय उनके द्वारा आहत देवकलीबाई की चोटों का परीक्षण किया गया था तथा आहत को गंभीर प्रकृति की चोट कारित हुई थी। उक्त के पश्चात् देवकलीबाई की मृत्यु हो जाने पर मृतिका देवकलीबाई का शव परीक्षण करने वाले डॉ. अजय कुमार जैन की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतिका को वाहन दुर्घटना में आई गंभीर चोटों के कारण मृत्यु कारित हुई थी।

16— प्रकरण में प्रस्तुत सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय आरोपी दुर्घटना कारित वाहन को चला रहा था तथा उसके द्वारा घटनास्थल पर दिवाल को ठोस मारकर दीवाल गिराने से मृतिका देवकलीबाई की मृत्यु हो गई थी। यद्यपि आरोपी के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित वाहन ट्रक को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाए जाने के संबंध में किसी भी साक्षी ने स्पष्ट कथन नहीं किए हैं। सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वे दुर्घटना के पश्चात् आवाज सुनकर या भीड़ देखकर पहुंचे हैं। जिन साक्षीगण के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में उक्त दुर्घटना में आरोपी की गलती होना बताया है, उन्होंने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वे घटना के पश्चात् पहुंचने थे और उनके सामने दुर्घटना कारित होना या उनके द्वारा आरोपी को वाहन चालन करते हुए नहीं देखा गया था। सभी साक्षीगण के कथन से यह प्रकट होता है कि दुर्घटना के तत्काल पश्चात् पहुंचने पर उन्होंने दुर्घटना कारित वाहन के चालक सीट पर आरोपी को बैठा हुआ देखा था और उसके पश्चात् आरोपी मौके से भाग गया था। इस प्रकार

मात्र दुर्घटना कारित होने का तथ्य प्रमाणित होने से स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जा रहा था अथवा उक्त के परिणाम स्वरूप आरोपी ने दीवाल गिराकर मृत्तिका देवकलीबाई की मृत्यु कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता। इस प्रकार उक्त के संबंध में उत्पन्न संदेह का लाभ आरोपी को प्राप्त होता है।

17— प्रकरण में आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन चलाया जाना प्रमाणित है तथा अनुसंधानकर्ता अधिकारी रमेश इंगले (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी घटनास्थल से भाग गया था और आहत का ईलाज नहीं कराने से विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 का ईजाफा किया गया था। इस तथ्य का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी के द्वारा घटना दिनांक को दुर्घटना कारित वाहन का चालक होते हुए आहत व्यक्ति का ईलाज न करवाकर व उक्त के संबंध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र सूचना न देकर मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 का उल्लंघन किया गया है।

18— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर ट्रक क्रमांक-एम.एच. 34/ए-6974 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृत्तिका देवकलीबाई की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) दोषमुक्त किया जाता है।

19— अभियोजन ने यह प्रमाणित किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने दुर्घटना के पश्चात् मौके पर आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया और भाग गया। अतएव आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

20— मामलें की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन हेतु मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना पर्याप्त होगा। अतएव आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 के अंतर्गत 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा-134/187 के अंतर्गत एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

21 प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

22— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

23— प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक क्रमांक-एम.एच.34/ए.-6974 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार विलासा पांडुरंग पिता पांडुरंग निवासी-सरकार नगर चंद्रपुर, थाना चंद्रपुर, जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, जो अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट